न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु0 नं0	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
15/2021	14.06.2021	91 एल.आर.एक्ट	11.08.2021

सरकार बनाम धर्मपाल पुत्र मातुराम जाति जाट निवासी भाटीवाड़

11.08.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का भाटीवाड़ द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम भाटीवाड़ पटवार हल्का भाटीवाड़ के भूमि खसरा नं0 93 रकबा 0..07 है0 किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान के सम्पूर्ण रकबे पर धर्मपाल पुत्र मातुराम जाति जाट निवासी भाटीवाड ने दुकान व आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का किशोरपुरा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि पत्नि घर पर मौजूद मिली लेकिन नोटिस लेने से मना किया गया। अतः नोटिस को तामिल मानते हुए अप्रार्थी के विरुध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का, अप्रार्थी जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम भाटीवाड़ पटवार हल्का भाटीवाड़ के भूमि भूमि खसरा नं0 93 रकबा 0..07 है0 किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान के सम्पूर्ण रकबे पर अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थीगणो को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 केड़ को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 3.00 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 150/– रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 11.08.2021 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी